(19)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
12.2.15	श्री प्रताप भानु रघुवंशी आवेदक/मुख्त्यार आम उपस्थित. उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निग0 1412–दो/14 में पारित आदेश दिनांक 23–12–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता । इस न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों के विवेचना उपरांत पारित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अतः यह पुनरावलोकन आवेदन अग्राह्य किया जाता है । प्रशा0 सदस्य	आदेश सुना 12/2/2015 प्रतापभानु

(54)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /पुनर्विलोकन/2015 रिव्यू 121-I-15

श्रीमती अरूणा रघुवंशी पत्नि प्रतापभानू रघुवंशी
द्वारा मुख्तार आम प्रतापभानू
निवासी A-22/2, HDFC कॉलोनी
चिंचवड, पूणे – 411019 (महाराष्ट्र)
––– आवेदिका

श्री प्रतापभानु रघुवंशी
द्वारा आज दि. 16-1-15 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 16-1-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

16.1.2015
(P. B. Raghuvanshi)
Thru. P. O. A.

विरूद्ध

1 राहुल सिंह पुत्र उत्तम सिंह रघुवंशी
निवासी इन्दपुरी, भोपाल

2. तहसीलदार महोदय, तहसील अशोकनगर

3. अनुविभागीय अधिकारी महोदय,
जिला अशोकनगर
––– अनावेदकगण

Received
16.1.15

माननीय महोदय इस न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण क्रमांक 1412–II/2014 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2014 के विरूद्ध म. प्र. राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन ।

माननीय महोदय,

आवेदिका का पुनर्विलोकन आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य :–

(1) यह कि, विवादित भूमि आवेदिका के पिता स्व. श्री अजीत सिंह जी के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमियाँ हैं ।

(2) यह कि, स्व. श्री अजीत सिंह के निम्नलिखित शिजरा अनुसार विधिक वारिसान हैं ।

क्रमशः.............2